

सह  
एवं उपख  
हनुमान

04.07.2025:-पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा अपना मूल वादपत्र विद्रा कर लिया गया है। मूल वाद पत्र विद्रा होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़



2.  
(रा  
3.